न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 04 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये रेखा खीचीं प्रवर्तन निरीक्षक, नगर कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

विजेन्द्र सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चिरावलमाली तहसील नगर जिला भरतपुर

.......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, के तहत जब्तशुदा 5 क्विंटल गेहूं को राजसात करने बाबत।

निर्णय **दिनांक 12.10.2021**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.2020 को ग्राम पंचायत चिरावलमाली के उचित मूल्य दुकानदार श्री विजेन्द्र सिंह की राशन दुकान का निरीक्षण किया जिसमें राशन डीलर की पोश मशीन संख्या 12316 के आंनलाइन स्टांक के अनुसार 111.50 क्विंटल गेहूं दुकान में होना चाहिए था लेकिन भौतिक सत्यापन करने पर 116.50 क्विं0 गेहू मौके पर पाया गया जो कि 05क्विंटल अधिक था जिसे जप्त कर उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश कुमार को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार रेस्पो0 विजेन्द्र सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चिरावलमाली तहसील नगर के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 17(सी) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्तशुदा 5 क्विंटल गेहूं को वारदाना सहित राजसात करने के करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

दौराने बहस अप्रार्थी के अभिभाषक व पैरोकार रसद को सुना गया।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 14.09.2020 को ग्राम पंचायत चिरावलमाली के उचित मूल्य दुकानदार श्री विजेन्द्र सिंह की राशन दुकान का निरीक्षण किया। वक्त निरीक्षण डीलर की पोश मशीन संख्या 12316 के आंनलाइन स्टांक के अनुसार 111.50 क्विंटल गेहूं था किन्तु वक्त भौतिक सत्यापन करने पर 116.50 क्विं0 गेहू मौके पर पाया गया जो कि 05 क्विंटल गेहूं अधिक था जिसे जप्त कर उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश कुमार को सुपुर्द किया गया। मौके पर वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुकान के बाहर मूल्य स्टांक सूची का बोर्ड तथा दुकान का नक्शा व प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया तथा डीलर द्वारा आधी राशन सामग्री को दूसरे स्थान पर रखा जाना खाद्यान्न का स्टांक रजिस्टर का संधारण नही करना, इलैक्ट्रोनिक कांटे का प्रमाणीकरण नही होना आदि अनियमितताऐ पाई गई है तथा एपीएल राशनकार्ड सं0 007420700222 का निरीक्षण करने पर पाया कि राशनकार्ड में 8 यूनिट होते हुए भी 7 यूनिट का राशन 35 किग्रा0 गेहूं ही देना जबकि ऑनलाइन में 40 किग्रा गेहूं निकाला जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि डीलर द्वारा 5 किग्रा गेहूं की कालाबाजारी प्रतिमाह की जा रही है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के सबंध में बीपीएल राशनकार्ड संख्या 007420900240 के निरीक्षण में पाया कि माह अगस्त में 55 किग्रा तथा सितम्बर 110 किग्रा गेहूं निकाला गया है। जबकि उपभोक्ता को कमशः अगस्त में 40 किग्रा तथा सितम्बर में 80 किग्रा गेहूं ही दिया गया गया है । आंनलाइन ट्रांन्जेक्शन से इसकी पुष्टि होती है कि डीलर द्वारा उपभोक्ता के 3 यूनिट के 15 किग्रा तथा 30 किग्रा गेहूं की कालाबाजरी की है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 6ए में वर्णित आरोपों को नकारते हुये कथन किया है कि वक्त निरीक्षण डीलर द्वारा स्टांक पंजिका रजिस्टर, प्राधिकार पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये थे। मूल्य सूची का प्रदर्शन दुकान के बाहर किया हुआ था। वक्त निरीक्षण स्टांक में आंवटन से अधिक जो 05 क्विंटल गेहूं पाया गया वह परिवहन ठेकेदार का था । उसके द्वारा गलती से अप्रार्थी के गोदाम पर उतरवा दिया गया था जिसके बाबत् वक्त निरीक्षण जांच अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया था। उक्त गेहूं महिला बहुउदेश्येय सहकारी समिति लिमिटेड मबई का था । फर्म द्वारा कय विकय नगर का पी.डी.एस गेहू का परिवहन का कार्य किया जाता है । फर्म द्वारा खाली किया गया गेहूं आंगनवाडी का था जिसकी पुष्टि ठेकेदार के पत्र दिनांक 24.09.2020 से होती है। डीलर द्वारा कोई अनियमितता नही की गई है। प्रार्थना पत्र मात्र डीलर को परेशान करने की नियत से किया गया है। अन्त में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना 6 ए निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रकरण में मुख्य आरोप यह है कि वक्त जांच डीलर की राशन दुकान में मौके पर निर्धारित आवंटन से 05 क्विंटल गेहूं अधिक मिला। इस सम्बन्ध में डीलर का कथन है कि उक्त अधिक 05 क्विंटल गेहूं महिला बहुउदेश्यीय सहकारी समिति लिमिटेड मबई के द्वारा सहवन से उसके यहां खाली कर दिया गया था जो मौके पर वक्त जांच डीलर के पास मिला किन्तु वास्तव में उक्त 05 क्विंटल

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

गेहूं डीलर का न होकर फर्म का था, जिसकी पुष्टि महिला बहुउदेश्यीय सहकारी समिति लिमिटेड मबई के पत्र दिनांक 24.9.2020 से होती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जब्त किया 05 क्विटल गेहूं महिला बहुउदेश्यीय सहकारी समिति लिमिटेड मबई का ही है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि जब्त शुदा 05 क्विंटल गेहूं सुपुर्दगार से वापिस लिया जाकर उसका नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दि0 12.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर